छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

क्रमांक एफ 20–47/2013/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.03.2015 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम – 2015'** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका 3.1 की उप कंडिका क्रमांक 3.1.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात :–

(3.1.1) प्रत्येक पट्टाग्राहिता को भूमि/शेड का आधिपत्य प्राप्त कर पट्टा अंतर्गत दर्शित प्रयोजन एवं भू–आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) अनुसार अपनी परियोजना क्रियान्वित करनी होगी। इस हेतु सभी आवश्यक प्रभावशील कदम उठाकर, नियमानुसार आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर, भवन शेड निर्माण कर यंत्र–संयंत्र की स्थापना कर समयावधि में परियोजना में उत्पादन प्रारंभ करना होगा। समयावधि की गणना इकाई द्वारा भूमि/ शेड/प्रकोष्ठ का आधिपत्य प्राप्त करने की दिनांक से निम्नानुसार होगी :–

(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष।
(ब) मध्यम उद्योग के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से चार वर्ष।
(स) वृहद उद्योग के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से पांच वर्ष।
(द) मेगा मामले के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से छः वर्ष।
(इ) अल्ट्रा मेगा के उद्यमों के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से सात वर्ष।

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका–3.4 की उप कंडिका क्रमांक–3.4.2.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात :–

(3.4.2.1) जिन प्रकरणों में आबंटित भू–खण्ड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन अनुसार बाऊंड्रीवॉल छोड़कर कोई उत्पादन के लिये आवश्यक भवन का निर्माण न हुआ हो अर्थात बाउंड्रीवॉल/उत्पादन कार्य हेतु अनुपयोगी भवन निर्मित हो तो भी, यदि भूमि आबंटन निरस्त न हुआ हो तो उनमें हस्तांतरण निम्नलिखित अनुसार किया जा सकेगा।

(अ) जिन प्रकरणों में दिनांक 07.03.2015 से पहले लागू नियमों/दरों के आधार पर भूमि आबंटन किया गया हो उनमें विभाग द्वारा हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 50 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(ब) जिन प्रकरणों में दिनांक 07.03.2015 के पश्चात नियमों/दरों के आधार पर भूमि आबंटन किया गया हो उनमें विभाग द्वारा हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 30 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

परंतु, इस नियमावली की कंडिका 3.4.1.2 के अंतर्गत – पति/पत्नि, रक्त संबंधियों एवं विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण के विषय में रिक्त भूखण्डों/शेड, भवन का हस्तांतरण कंडिका 3.4.1.2 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना मान्य होगा, यदि आबंटित भूमि पर भूखण्डों/शेड, भवन इस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वैधता अन्यथा बाधित न हो।

(तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका–3.7 की उप कंडिका क्रमांक–3.7.2 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात :–

(3.7.2) *पट्टाभिलेख की शर्तों का उल्लंघन पट्टाग्रहिता द्वारा करने की स्थिति में आबंटनकर्ता प्राधिकारी पंजीकृत डाक से अभिस्वीकृति/पावती सहित सूचना–पत्र जारी कर पट्टाग्रहिता को निर्देशित किया जायेगा कि, वह किए गए उल्लंघन का निराकरण सूचना–पत्र जारी होने की दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस की समयावधि में दूर कर लिखित में प्रमाण सहित पुनः सूचित करें अन्यथा आबंटन प्राधिकारी द्वारा पट्टे का निरस्तीकरण किया जा सकेगा।*

(चार) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका–3.8 की उप कंडिका क्रमांक–3.8.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात :–

(3.8.1)

क्रमांक	उद्योग की श्रेणी	अभ्यावेदन शुल्क (राशि रूपये में)	
		अभ्यावेदन	अभ्यावेदन
1	2	3	4
1	सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु	2000	—
2	सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों हेतु	10,000	—

(पांच) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका–3.8 की उप कंडिका क्रमांक–3.8.3 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात :–

(3.8.3)

क्रमांक	*निरस्तीकरण आदेशकर्ता*	*अभ्यावेदन (निराकरण समय सीमा 15 दिवस)*	*द्वितीय अपील*
1	*2*	*3*	*4*
1	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/ सी.एस.आई.डी.सी.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/ सी.एस.आई.डी.सी.	—
2	अपर संचालक उद्योग संचालनालय	अपर संचालक उद्योग संचालनालय	—
3	संचालक/ आयुक्त, उद्योग संचालनालय	संचालक/ आयुक्त, उद्योग संचालनालय	—
4	कार्यपालक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	कार्यपालक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	—
5	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	—

(छः) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका–3.9 की उप कंडिका क्रमांक–3.9.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात :–

(3.9.1) *यदि पट्टेदार द्वारा आबंटित भूमि/शेड में अपनी कोई परिसंपत्तियां (बाउंड्री वॉल जैसी अनुत्पादक संपत्तियां छोड़कर) निर्मित नहीं की गयी हो तो पट्टाभिलेख निरस्तीकरण उपरांत (लंबित अपील/न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त मामलों को छोड़कर) संबंधित भूमि/भवन/प्रकोष्ठ का आधिपत्य महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एकपक्षीय आधार पर अधिकतम 07 दिवस में पंचनामा कर प्राप्त कर लिया जायेगा तथा इसकी सूचना पट्टेदार को पंजीकृत पत्र द्वारा दी जायेगी। इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। तथापि, अनुत्पादक संपत्तियों को आबंटी स्वयं के व्यय पर निरस्तीकरण आदेश दिनांक से 15 दिवस में हटा सकेगा।*

(सात) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका–3.9 की उप कंडिका क्रमांक–3.9.2 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात :–

(3.9.2) *यदि आबंटित भूमि पर आबंटी द्वारा परिसंपत्तियॉ निर्मित की गई है तो आबंटन प्राधिकारी द्वारा निरस्तीकरण उपरांत पट्टेदार को अपनी परिसंपत्तियॉ हटाने हेतु निरस्तीकरण आदेश की तिथि से अधिकतम 01 माह का समय प्राप्त होगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर पट्टादाता को उक्त परिसर में छोड़ी गई पट्टेदार की समस्त संपत्ति पर बिना कोई क्षतिपूर्ति दिये पूर्ण अधिकार होगा एवं तद्नुसार वह उसका निपटान करने को स्वतंत्र होगा। उक्त संपत्ति को राजसात किये जाने का भी अधिकार होगा।*

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–47/2013/11/(6) **रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020**

प्रतिलिपि :–

1. **संचालक** उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 नया रायपुर
2. **प्रबंध संचालक**, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
3. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
4. **मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग